सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 /वेबसाईट अपडेशन के अन्तर्गत चाही गयी सूचना का विवरण
विकास खण्ड कार्यालय– सरसावा जनपद– सहारनपुर।

| क्र0 सं0 | मद का नाम | सूचना का विवरण | |
|---|---|---|---|
| 1. | कार्यालयाध्यक्ष का पद नाम व पता व फोन नम्बर | खण्ड विकास अधिकारी<br>विकास खण्ड कार्यालय, सरसावा<br>01331244184<br>09454465218 | |
| 2 | विभागाध्यक्ष का पदनाम व पता व फोन नम्बर | जिला विकास अधिकारी,<br>जिला विकास कार्यालय,<br>सहारनपुर<br>01322765441<br>094 | |
| 3 | कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के पद नाम का संरचनात्मक ढांचा | 1. अवर अभियन्ता (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) | विकास खण्ड में निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं (राज्य वित्त, 13वां वित्त, सांसद निधि) आदि में प्राप्त धनराशि से क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत कार्य कराना व मनरेगा योजना का पर्यवेक्षण। |
| | | 2. अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) | लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में निःशुल्क बोरिंग कराना एवं पम्पसैट स्थापना, सिंचन क्षमता बढ़ाना, व मनरेगा योजना का पर्यवेक्षण। |
| | | 3. सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) | विकास खण्ड में स्थित किसान सहकारी समितियों से किसानों को ऋण एवं खाद आदि उपलब्ध कराना एवं समितियों के कार्यों पर नियन्त्रण रखना। |
| | | 4. सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) | एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को बैंको से ऋण वितरण कराना, स्वयं सहायता समूह गठन कराना, समूहों का पर्यवेक्षण करना। |
| | | 5. सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) | ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग आदि योजनाओं में प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की निगरानी रखना व नियन्त्रण रखना। ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करना। |
| | | 6. सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) | स्पेशल कम्पोनेंट योजनान्तर्गत अनु0जाति के परिवारों को ऋण वितरण कराना एवं समस्त प्रकार की पेंशन व छात्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखना। |
| | | 7. सहायक विकास अधिकारी (कृषि) | किसानों के किसान केडिट कार्ड बनवाना, फसली ऋण वितरण, बीज व खाद वितरण, वृक्षारोपण कराना व कृषि सम्बन्धी समस्त समस्याओं का निराकरण कराना। |
| | | 8. सहायक विकास अधिकारी (कृषि रक्षा) | किसानों को फसली चकानुसार कीटनाशक दवाईयॉ उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि रक्षा सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध कराना। |
| | | 9. सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) | विकास खण्ड सम्बन्धी समस्त ऑकड़े प्राप्त / तैयार कर जिला स्तर पर प्रेषित करना। |
| | | 10. ग्राम विकास अधिकारी | इन्दिरा आवास, एस0जी0एस0वाई0, एस0सी0पी0 योजनाओं का संचालन, ग्राम पंचायत सचिव पद के दायित्वों का निर्वहन, एवं मनरेगा योजना का कियान्वयन करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 11. ग्राम पंचायत अधिकारी | ग्राम पंचायत सचिव पद के दायित्वों का निर्वहन, एवं मनरेगा योजना का कियान्वयन करना। |
| | | 12. सहायक लेखाकार (प्रथम) | इन्दिरा आवास, समस्त योजनाओं में प्राप्त धनराशि का वित्तीय रखरखाव एवं बजट नियन्त्रण, आडिट, निरीक्षण व परिपालन आख्या प्रेषण। |
| | | 13. सहायक लेखाकार (द्वितीय) | एस0जी0एस0वाई0 योजना के अभिलेखों का रखरखाव सूचनाऐं आदि प्रेणक कार्य। |
| | | 14. कनिष्ठ लेखा लिपिक | कैशियर, स्टोर कीपर व मनरेगा योजना के दायित्वों का निर्वहन करना। |
| | | 15. स्थापना लिपिक | समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव, वेतन आहरण व कार्यालय में उपस्थिति सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन। |
| | | 16. कनिष्ठ लिपिक | पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य, शिकायतों का निस्तारण व समान्य पटल के कार्यों का निर्वहन। |
| | | 17. उर्दू लिपिक | उर्दू में लिखित आ0पत्रों का हिन्दी में अनुवाद करना एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निर्वहन। |
| | | 18. बोरिंग टेक्निशियन | ग्राम पंचायतों में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत निःशुल्क बोरिंग का कार्य |
| | | 19. पत्रवाहक | डाक वितरण, जिला एवं तहसील स्तर पर डाक पहुंचाना व प्राप्त करना। |
| 4 | जनपद में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण | 1. इन्दिरा / महामाया आवास योजना<br>2. मनरेगा योजना<br>3. निःशुल्क बोरिंग योजना<br>4. एस0जी0एस0वाई0 व एस0सी0पी0योजना<br>5. खड़न्जा, सी0सी0, सम्पर्क मार्ग, नाली निर्माण कार्य।<br>6. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया आर्थिक मदद योजना।<br>7. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005<br>8. डा0अम्बेडकर ग्रामों में विकास कार्य कराना<br>9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रभावी नियन्त्रण।<br>10. बायोगैस योजना<br>11. किसान सह0समितियों से खाद बीज, कीटनाशक दवाईयां एवं ऋण वितरण।<br>12. हैण्डपम्प, राजकीय नलकूपों के सम्बन्ध में पत्रव्यवहार।<br>13. विकास विभाग से संम्बन्धित समस्त योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सहयोग। | |
| 5 | जन सामान्य से सम्बन्धित स्कीमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरण | उपरोक्त योजनाओं में जन सामान्य को पात्रतानुसार अधिक से अधिक लाभ प्रदान कराना। | |
| 6 | अधीनस्थ कार्यालय के नाम यदि कोई हो तो उनके कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण | कोई नहीं। | |
| 7 | यदि विभाग की कोई वेबसाईट हो तो उसका एडरेस | www.rural.nic.in | |

खण्ड विकास अधिकारी,
सरसावा (सहारनपुर)